[2019] 17 एस. सी. आर 119

राधा बाई

वी.

राम नारायण और ओआरएस।

(2009 की सिविल अपील सं. 5889)

नवंबर 22,2019

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-ss. 6 और 8-संपत्ति में हिस्सेदारी-एक भूमि का स्वामित्व और स्वामित्व एक 'एस' के पास था-स 'हद

दो बेटे 'जे' और 'पी'-'जे' के दो बेटे थे प्रतिवादी संख्या 4 और अपीलार्थी के पिता-वादी-अपीलार्थी के पिता की मृत्यु 'जे' से पहले हुई थी।

पिता) और 'एस' (उनके दादा)-उनकी मृत्यु 1957 में हुई, जबकि 'जे' की मृत्यु 1982 में और 'एस' की मृत्यु 1965 में हुई-अपीलार्थी के पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया-अपीलार्थी-'एस' की मृत्यु के बाद, उनके दो बेटों 'जे' और 'पी' ने मुक़दमे की संपत्ति का विभाजन किया और जिसके परिणामस्वरूप मुक़दमे की संपत्ति 'जे' के विशेष हिस्से में आ गई और मुक़दमे की संपत्ति 'जे' बन गई।

इसके पूर्ण स्वामी, जिसके अधिकार के आधार पर, उन्होंने ('जे') अपने तीन पोतों के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया। प्रतिवादी सं. 4)-अपीलार्थी ने मुकदमा दायर किया और इसमें हिस्सेदारी मांगी।

संपत्ति-मुकदमा निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था, हालांकि, अपीलीय अदालत ने निचली अदालत द्वारा पहुंचे निष्कर्ष को उलट दिया और अपीलार्थी को संपत्ति पर कब्जा करने का आदेश दिया। विवादित भूमि का आधा हिस्सा-पीड़ित, प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या। 1 4 ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की-उच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया और पुष्टि की

विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः 1965 में 'एस' की मृत्यु के बाद, संपत्ति उनके दो बेटों 'जे' और 'पी' को हस्तांतरित कर दी गई-वे सफल हुए और संपत्ति का विभाजन किया। आपस में-परिणामस्वरूप संपत्ति 'जे' के अनन्य हिस्से में आ गई-अपीलार्थी के पिता-वादी ने अपने पिता से पहले ही दम तोड़ दिया था

' जे 'और यहाँ तक कि उनके दादा' एस '-' जे 'के जीवनकाल के दौरान, अपीलार्थी के पिता संपत्ति और संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे।

इसी कारण से, अपीलार्थी को उसकी बेटी होने के कारण नहीं सुना जा सकता है अपने पिता से अधिक किसी भी अधिकार का दावा करें-इसलिए, आवेदन करना

वर्तमान मामले में तय कानूनी स्थिति, उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, यह देखा गया है कि 'एस' को पैतृक संपत्ति विरासत में मिली थी और वह 1965 तक जीवित था। अपीलार्थी-वादी के पिता का 1957 में निधन हो गया था। अपीलार्थी का पिता 'जे' का पुत्र था। 1982 में जे 'की मृत्यु हो गई। 'जे' के जीवन काल के दौरान, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के संदर्भ में, अपीलार्थी के पिता संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे क्योंकि वे केवल 'जे' के माध्यम से दावा कर सकते थे। जे ', हालांकि, 1982 तक जीवित थे। यदि अपीलार्थी के पिता का स्वयं अपने अधिकारों में कोई दावा नहीं था, तो अपीलार्थी, उसकी बेटी होने के नाते, संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का सवाल ही नहीं उठता। [पैरा 19] [136-ई-एफ]

2. इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि पोते या पोती को स्पष्ट रूप से प्रथम श्रेणी में उत्तराधिकारियों से बाहर रखा गया है।

' 1967 में पी। उस विभाजन के परिणामस्वरूप, मुक़दमे की संपत्ति उनकी व्यक्तिगत क्षमता में 'जे' के अनन्य हिस्से में आ गई। इसलिए, वह 21 तारीख के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार और जो उसने अपने पोतों (प्रतिवादी Nos.1 से 3 क्रमशः) के पक्ष में किया, उसका वैध तरीके से निपटान कर सकता था। जुलाई, 1979। न तो 1967 के कथित विभाजन और न ही 21 जुलाई, 1979 के उत्तरदाताओं (प्रतिवादी Nos.1 से 3) के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी/वादी द्वारा दायर मुकदमे में मांगी गई राहत केवल विभाजन और कब्जे के साथ अपीलार्थी/वादी को हिस्सा देने के लिए है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि 'जनकराम' (अपीलार्थी) की पोती अपने पिता के अधिकार से अधिक उच्च अधिकार का दावा नहीं कर सकती थी। [पैरा 20] [136-जी-एच; 137-ए-बी]

भारतीय स्टेट बैंक बनाम घमंडीराम (मृत) के माध्यम से गुरबक्स राय (1969) 2 एस. सी. सी. 33: [1969] 3 एस. सी. आर. 51; संपत्ति कर आयुक्त, कानपुर और अन्य बनाम

चंदर सेन और अन्य (1986) 3 एससीसी 567;

युधिष्ठिर बनाम। अशोक कुमार (1987) 1 एससीसी 204: [1987] 1 एससीआर 516; हरदेव राय बनाम। शकुंतला देवी और अन्य (2008) 7 एससीसी 46: [2008] 7 एस. सी. आर. 1-निर्भर।

गुरुपद खंडप्पा मगदुम बनाम। हीराबाई खंडप्पा मगदुम और अन्य (1978) 3 एस. सी. सी. 383:

[1978] 3 राधा बाई बनाम। राम नारायण और ओआरएस।

एस. सी. आर. 761; रमेश वर्मा (मृत) कानूनी माध्यम से

प्रतिनिधि v. लजेश सक्सेना (मृत) कानूनी रूप से

प्रतिनिधि और अन्य (2017) 1 एस. सी. सी. 257; श्रीमती.

राज रानी बनाम। मुख्य निपटान आयुक्त, दिल्ली और

अन्य (1984) 3 एससीसी 619 [1984] 3 एससीआर 763 -

संदर्भित किया गया।

चंद्रकांत और अन्य बनाम। अशोक कुमार और अन्य

2002 (3) एम. पी. एल. जे. 576-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1978] 3 एससीआर 761

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

(2017) 1 एस. सी. सी. 257

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

2002 (3) एमपीएलजे 576

[2008] 7 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

(1986) 3 एस. सी. सी. 567

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[1987] 1 एससीआर 516

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[1984] 3 एससीआर 763

पै

रा 14

संदर्भित किया गया है

[1969] 3 एससीआर 51

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5

2009 से।

एच के 12.02.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

200 में से दूसरी अपील संख्या 84 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का न्यायालय

सरबजीत दत्ता, अक्षत श्रीवास्तव, सुश्री पूजा श्रीवास्तव, ए.

अपीलार्थी के लिए।

मनोज प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रकाश कुमार सिंह, आशुतोष डू

सुश्री ऋचा राठी, धीरेंद्र कुमार, अजय कुमार श्रीवास्तव, डॉ. आर. ए. पांडे, सुश्री तनुजा मंजरी पात्रा, सुश्री श्वेता, सुश्री अश्वथी एम. मनोज सेल्वराज एस., सुश्री योगिता आहूजा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. यह अपील निर्णय और आदेश को अपवाद मानती है।

12 फरवरी, 2007 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की 2002 की दूसरी अपील No.84 में, जिसके द्वारा [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपील-मूल प्रतिवादी संख्या। 1 4 को अनुमति दी गई और अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की गई।

2. पक्ष निम्नानुसार संबंधित हैं:

सुखदेव (सहदेव)

1965 में समाप्त हो गया

जनकराम

पिलाराम

सुखदेव का पुत्र

सुखदेव का पुत्र

1982 में समाप्त हो गया

1967 में समाप्त हो गया

लक्ष्मीबाई

सोनू

साहेबलाल

1957 में समाप्त हो गया

1984 में समाप्त हो गया (पत्नी)

प्रतिवादी नं. 4

2016 में समाप्त हो गया

राधा बाई

प्लैन्टिफ (बेटी)

राम नारायण

जया नारायण

रोहित कुमार

प्रतिवादी नं. 1

प्रतिवादी नं. 2

प्रतिवादी संख्या 3

3. अपीलार्थी ने सिविल न्यायाधीश, वर्ग के न्यायालय में मुकदमा दायर किया

-

सरधा छन्नाहू के पुत्र सुखदेव छन्नाहू। सुखदेव एक हिंदू थे और मिताक्षर कानूनों द्वारा शासित थे। सूट की जमीन सुखदेव की पैतृक संपत्ति के रूप में उनके हाथों में आई, जिसमें सुखदेव और उनके बेटे थे। जनकराम और पिलाराम के संयुक्त शेयर सह-भागीदार थे। द.

अपीलार्थी के पिता साहेबलाल जनकराम के पुत्र थे, जिनका एक और पुत्र था जिसका नाम सोनू था (मूल प्रतिवादी संख्या 4, जिसकी वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है)। अपीलार्थी के पिता साहेबलाल

उनका निधन जनकराम (उनके पिता) और सुखदेव (उनके दादा) से पहले हुआ था। उन्होंने

1957 में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि 1982 में जनकराम और 1965 में सुखदेव की मृत्यु हो गई। साहेबलाल अपने पीछे लक्ष्मीबाई, अपनी पत्नी और अपनी बेटी राधाबाई को छोड़ गए हैं।

(अपीलार्थी/वादी)। इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि वह अपने पिता के माध्यम से दावा करते हुए मुकदमे की संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार थी साहेबलाल। अपीलार्थी की माँ की मृत्यु 1985 में मुकदमा दायर करने से पहले ही 1984 में हो चुकी थी।

राधा बाई बनाम। राम नारायण और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

4. यह अपीलार्थी का मामला है कि उसकी मृत्यु के बाद

माँ, अपीलार्थी गाँव बर्रामे आयल आ गामक पटवारिसँ जमीनकेँ ओकर नाम पर बदलबाक अनुरोध कयलक। जवाब में, वह थी

उन्होंने बताया कि राम नारायण (प्रतिवादी संख्या 1), जया नारायण (प्रतिवादी संख्या 2) और रोहित कुमार (प्रतिवादी संख्या 3)-सोनू के तीन बेटों (मृत प्रतिवादी संख्या 4) के नाम पर 21 जुलाई, 1979 को जनकराम द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर भूमि पहले ही परिवर्तित कर दी गई थी। यह भी पता चला कि 1965 में सुखदेव की मृत्यु के बाद, उनके दो बेटों जनकराम और पिलाराम ने वर्ष 1967 में या उसके आसपास सूट संपत्ति का विभाजन किया, जिसके परिणामस्वरूप, सूट संपत्ति जनकराम के विशेष हिस्से में आ गई और वह बन गए।

इसके पूर्ण स्वामी, जिसके अधिकार के आधार पर, उन्होंने अपने तीन पोते (अपने बेटे सोनू (अब मृत) के बेटे)-प्रतिवादी संख्या के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया। 1 क्रमशः 3)।

5. उपरोक्त के बारे में जागरूक होने के तुरंत बाद, 1985 में,

अपीलार्थी ने घोषणा और अधिकार के लिए मुकदमा दायर किया और निम्नलिखित राहतों की मांग कीः

(i): अदालत को कब्जे के बारे में आदेश देना चाहिए वादी के लिए प्रासंगिक विवादित भूमि;

आई (ए): विवादित भूमि का विभाजन करके आधा हिस्सा दिया जाए

वादी को, और उसके भूमि राजस्व का निर्धारण किया जाना चाहिए

अलग से।

(ख): वादी को मुकदमे का खर्च दिया जा सकता है।

iii): मुक़दमे की परिस्थितियों को देखते हुए, जो भी हो उचित राहत अदालत इसे उचित और न्यायसंगत मान सकती है।

वादी को पुरस्कृत किया जा सकता है। "

6. प्रतिवादियों ने उक्त मुकदमे का विरोध किया। इसके आधार पर

प्रतिद्वंद्वी अभिवचनों में से, विचारण न्यायालय ने 9 मुद्दों को तैयार किया, जो इस प्रकार हैंः

" मुद्देः

निष्कर्षः

(1.) : क्या, सुखदेव की मृत्यु के बाद, संयुक्त और संयुक्त संपत्ति का विभाजन बीच में किया गया था

हां.

जनकराम और पिलाराम।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2.) : क्या, विवादित भूमि जनकराम को मिली थी

उक्त विभाजन में।

सिद्ध नहीं हुआ।

(3.) : क्या वर्ष 1982 तक विवादित भूमि बनी रही।

जनकराम के संयुक्त और संयुक्त खातों में दर्ज,

लक्ष्मीबाई और वादी।

नकारात्मक निष्कर्ष के कारण

मुद्दा संख्या 2, विस्तृत

प्रशंसा नहीं की गई है

किया।

(4.) : क्या, जनकराम को विवादित को बेचने का कोई अधिकार नहीं था

संपत्ति/भूमि।

(5.) : क्या 21 जुलाई, 1997 का बिक्री विलेख अवैध है

और शून्य।

(6.) : क्या वादी अधिकार प्राप्त करने का हकदार है

विवादित भूमि।

(7.) : राहत और खर्च। मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। प्रतिद्वंद्वी दल

वे अपना खर्च खुद उठाएंगे।

अतिरिक्त मुद्देः

(8.) : क्या वादी इसमें आधा हिस्सा पाने का हकदार है

विवादित भूमि।

सिद्ध नहीं हुआ।

(9.) : क्या, वादी का मुकदमा विचारणीय नहीं है।

नहीं। इसे बनाए रखा जा सकता है "।

7. विचारण न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद,

24 नवंबर, 2000 के फैसले और डिक्री के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मुकदमे को खारिज करने के लिए आगे बढ़े।

8. पीड़ित होने के कारण, अपीलार्थी ने दीवानी अपील दायर की

2001 का सं. 5-क, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, शक्ति, जिला बिलासपुर-छत्तीसगढ़ के न्यायालय में। हालाँकि, अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पहुँचाए गए निष्कर्ष को उलट दिया और 22 जनवरी, 2002 के निर्णय और डिक्री के माध्यम से अपील को स्वीकार कर लिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित परिचालन आदेश इस प्रकार हैः

" 26 .) : उपर्युक्त आलोचनात्मक प्रशंसा के आधार पर,

निम्नलिखित प्रभाव के लिए डिक्री खींची जा सकती हैः

राधा बाई बनाम। राम नारायण और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(i): कि, अपीलार्थी की अपील की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, विवादित निर्णय और दिनांकित डिक्री

24 नवंबर, 2000 को अलग रखा गया है।

(ख): कि, अपीलार्थी की अपील की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, वादी/अपीलार्थी का मुकदमा स्वीकार किया जाता है, और यह आदेश दिया जाता है कि वादी/अपीलार्थी अलग से आधे हिस्से पर कब्जा प्राप्त करने का हकदार है,

विवादित भूमि के आधे हिस्से का विभाजन करना, जिसे अनुसूची "ए" में गिना गया है। वाद के साथ संलग्न; और तदनुसार उस प्रभाव के लिए भूमि राजस्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

iii): शिकायत के साथ संलग्न अनुसूची "ए" होगी -

फरमान का अभिन्न अंग

(iv): जवाब देने वाले वादी/प्रतिवादी मामले के अपने खर्चों को वहन करने के अलावा,

वादी/अपीलार्थी के मामले का खर्च।

v): अधिवक्ता शुल्क, सत्यापन पर डिक्री में Rs.300/- (केवल तीन सौ रुपये) पर देय होगा।

vi): तदनुसार, डिक्री तैयार की जा सकती है।

वे उत्तरदाता-मूल प्रतिवादी संख्या। 1 4 दर्ज किए गए सेकंडउच्च न्यायालय, 2002 की दूसरी अपील No.84 है। दूसरी अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दो प्रश्न तैयार किए

कानून के सवाल। वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

" 1. क्या वादी को महिला होने के नाते संपत्ति के विभाजन का अधिकार मिला था जो केवल सुखदेव का था

और जनक राम को उनके पिता सुखदेव की मृत्यु के बाद उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया गया? ”

2. क्या स्वर्गीय जनक राम को अपने पिता सुखदेव से विरासत में मिली भूमि, जिसका एकमात्र मालिक 1965 में सुखदेव की मृत्यु की तारीख और 1965 में उनकी मृत्यु की तारीख को वादी के लिए पैतृक संपत्ति बन गया।

1982 में जनक राम?

तथ्यात्मक मैट्रिक्स और अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, ऑर्ट ने राय दी कि अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट त्रुटि की है जो तय की गई कानूनी स्थिति को दर्शाती है। उच्च न्यायालय ने विचार किया

निम्नलिखित शब्दों मेंः

" 8. एकमात्र बिंदु जो इस प्रकार निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है

दूसरी अपील यह है कि क्या मुकदमा संपत्ति जनक राम द्वारा पिला राम के बहिष्कार के अपने अधिकार में आयोजित की गई थी, और क्या उत्तराधिकार का नियम या उत्तरजीविता का नियम लागू होगा। यह.

एक पंजीकृत बिक्री विलेख, वादी राधा बाई केवल धोखाधड़ी या उसके बिना होने के सीमित आधार पर ही उस पर सवाल उठा सकती थीं विचार करें। जनक राम के जीवन काल में, राधा बाई, एक पूर्व मृत पुत्र साहेबलाल की बेटी होने के नाते, केवल एक जासूस थीं।

उत्तराधिकार मुकदमे की संपत्ति के लिए है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 4-सोनू ने जनक राम से बलपूर्वक या बिना विचार किए दिनांकित 21.7.1979 बिक्री विलेख प्राप्त किया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, जनक राम, जिन्होंने विभाजन के बाद, मुकदमे की संपत्ति को

निष्पादित बल किसी भी आधार पर उक्त लेन-देन को चुनौती नहीं दे सका। स्वयं राधा बाई के नेतृत्व में साक्ष्य से पता चलता है कि उन्हें जनक राम द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख की पूरी जानकारी थी। वादी राधा बाई, अदालत में उपस्थित होने और ऐसा करने के लिए कहे जाने के बावजूद गवाह पेटी में प्रवेश नहीं की। इस मामले के दृष्टिकोण से, मेरा मानना है कि राधा बाई द्वारा दायर मुकदमा विफल होना चाहिए क्योंकि मामले और उत्तराधिकार के तथ्यों पर लागू उत्तराधिकार का नियम जनक राम की मृत्यु के बाद ही खुला होगा, जो पिलाराम के साथ विभाजन में उन्हें प्राप्त हिस्से के अनन्य मालिक थे। इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दिया गया है।

नकारात्मक है कि जनक राम सूट के अनन्य मालिक होने के नाते राधा बाई बनाम।

राम नारायण और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संपत्ति, अपने जीवन काल के दौरान राधा बाई ने सूट संपत्तियों पर कोई अधिकार हासिल नहीं किया था और सूट भूमि के विभाजन और कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए जो जनक राम द्वारा पहले ही बेचा जा चुका था।

के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित करके अपने जीवन काल के दौरान

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दिया जाता है कि सुखदेव की मृत्यु के बाद सह-आंशिक संपत्ति का विभाजन हुआ था।

जिसे जनक राम ने अपने हिस्से के रूप में सूट भूमि प्राप्त की थी और इसलिए, सूट संपत्ति का पूर्ण मालिक था। मामले के इस दृष्टिकोण में, उत्तरजीविता का नियम वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि विभाजन के बाद मुकदमा संपत्ति जनक राम द्वारा अपने अधिकार में और अन्य सह-भागीदार के बहिष्कार के लिए आयोजित की गई थी। इस प्रकार, विभाजन के बाद वाद संपत्ति प्रभावी हो गई थी। जनक राम और पिलाराम के बीच, पैतृक होना बंद हो गया

संपत्ति और जनक राम द्वारा इसके अनन्य मालिक के रूप में आयोजित किया गया था। इस प्रकार उत्तराधिकार का नियम वर्तमान मामले पर लागू होगा और

जनक राम की मृत्यु के बाद ही उत्तराधिकार का उद्घाटन हुआ होगा। इसलिए, राधा बाई, जिनके पास केवल एक जासूस उत्तराधिकार था, केवल यह साबित करके सफल हो सकती हैं कि बिक्री विलेख जनक द्वारा निष्पादित किया गया था

राम बिना किसी विचार के था या उसे फांसी दे दी गई थी

प्रतिवादी नं. 4 - सोनू जबरदस्ती। ऐसा करने में विफल होने के बाद, सूट

असफल होना चाहिए।

9. कानून के दोनों महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने के बाद, अपील को अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है। सिविल अपील संख्या 5-ए/2001 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, शक्ति, जिला बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया गया है और सिविल द्वारा निर्णय और डिक्री पारित की गई है। न्यायाधीश, वर्ग-II, शक्ति दिनांक 24.11.2000 सिविल सूट No.90-A/88 में

पुष्टि की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

इश वर्मा (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों बनाम लजेश ना (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा और अन्य 2 के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने यह मानने में कानून की स्पष्ट त्रुटि की किपूजा लागू नहीं होगी और वादी के पास केवल एक जासूस उत्तराधिकार था।

3) 3 एस. सी. सी. 383

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी के अनुसार, मुक़दमे की संपत्ति स्वीकार्य रूप से सुखदेव के हाथों में पैतृक संपत्ति थी। हिंदू के बल में आने के बाद

उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "1956 अधिनियम") 17 जून, 1956 से, क्योंकि सहब्लाल की मृत्यु 1956 के अधिनियम, धारा 6 के प्रारंभ होने के बाद हुई थी।

1956 के अधिनियम और विशेष रूप से उसका स्पष्टीकरण-I स्पष्ट रूप से आकर्षित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप सहब्लाल की मृत्यु से पहले सह-पक्षीय संपत्ति का काल्पनिक विभाजन हुआ था। धारा 6 का प्रावधान भी आकर्षित किया गया था क्योंकि साहेबलाल अपनी पत्नी को पीछे छोड़ गए थे।

लक्ष्मीबाई और बेटी राधाबाई (अपीलार्थी-वादी)। नतीजतन, मृतक साहेबलाल का हित मिताक्षरा सह-पक्षीय संपत्ति में है।

1956 के अधिनियम के तहत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया गया था और द्वारा नहीं उत्तरजीविता। अपीलार्थी-वादी सहब्लाल का एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी होने के नाते सहब्लाल के पूरे हिस्से में अधिकार का दावा कर रहा था।

12. इसके बाद यह आग्रह किया जाता है कि जनक्रम द्वारा प्रत्यर्थियों के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख-प्रतिवादी संख्या। 1 क्रमशः दिनांक 21 जुलाई, 1979 की धारा 3, प्रत्यक्षतः अवैध थी और अपीलार्थी-वादी के लिए बाध्यकारी नहीं थी। जनकराम के पास पैतृक संपत्ति को बेचने का कोई अधिकार नहीं था। सुखदेव की मृत्यु के बाद वे सह-भागीदारों में बस गए। इसी तरह, 1967 में जनकराम और पिलाराम के बीच हुआ विभाजन, जिसमें पूर्व मृत साहेबलाल की शाखा को छोड़ दिया गया था, कोई लाभ नहीं होगा और वाद संपत्ति में वादी के दावे को हटाने का आधार नहीं हो सकता है। अपीलार्थी प्रार्थना करता है कि निर्णय और डिक्री प्रथम द्वारा पारित की जाए

अपीलीय न्यायालय, अपीलार्थी के पक्ष में वाद का आदेश देते हुए-वादी को बरकरार रखा जाए और बहाल किया जाए।

और पिलाराम समान रूप से जब 1965 में सुखदेव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार खोला गया था। अपीलार्थी-वादी संबंधित समय में प्रथम श्रेणी में उत्तराधिकारी नहीं था। यदि अपीलार्थी सुखदेव के पूर्व मृत पुत्र की बेटी होती, तो उसे अपने दावे को आगे बढ़ाने का कुछ मौका मिल सकता था। हालाँकि, अपीलार्थी सुखदेव की परपोती होने के नाते, 1965 में मुक़दमे की संपत्ति में उसका कोई दावा नहीं था। ससरा, अपीलार्थी के पिता-साहेबलाल, अपने पिता जनकराम के जीवनकाल के दौरान संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। जबकि, के बीच विभाजन के कारण सुखदेव के निधन के बाद जनाक्रम और पिलाराम, सूट संपत्ति

जनकराम के अनन्य हिस्से पर आया और वह उसका पूर्ण स्वामी बन गया था। जैसा कि जनकराम ने मुकदमे की संपत्ति अपने व्यक्तिगत राधा बाई बनाम में रखी थी।

राम नारायण और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

क्षमता और सह-भागीदारों और परिवार के सदस्यों की ओर से नहीं, वह अपनी इच्छा के अनुसार इसे किसी से भी अलग कर सकता था, जो उसने 21 जुलाई, 1979 के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से अपने पोते (उत्तरदाता-प्रतिवादी Nos.1 से 3 क्रमशः) के पक्ष में किया था। ऐसी स्थिति में, यह तय किया गया कानून है कि पोती को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है ताकि मुकदमा संपत्ति में उसका हिस्सा हो।

14. उपरोक्त उल्लिखित प्रस्तुति को समर्थन देने के लिए, निर्भरता रखी जाती है।

चन्द्रकांता और अन्य बनाम अशोक कुमार और अन्य के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर और हरदेव राय बनाम शकुंतला देवी और अन्य 4 और धन कर आयुक्त, कानपुर और अन्य बनाम चंदर सेन और अन्य के मामले में इस न्यायालय के दो निर्णयों पर। युधिष्ठिर बनाम अशोक कुमार और श्रीमती में इस उक्ति का अतिरिक्त संदर्भ दिया गया है। राज रानी बनाम प्रमुख

निपटान आयुक्त, दिल्ली और अन्य '। यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है, बहुत कम एक स्पष्ट त्रुटि,

इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप सुनिश्चित करना। इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि इस अपील को गुणदोष से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाए। 15. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री सरबजीत दत्ता और वरिष्ठ वकील श्री मनोज प्रसाद को सुना है।

16. इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ें, 1956 के अधिनियम की धारा 6 को पुनः प्रस्तुत करना उचित हो सकता है जैसा कि लागू होता हैः प्रासंगिक समय। वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

" 6. जब इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय उसके पास मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में ब्याज होता है, तो संपत्ति में उसका हित हस्तांतरित हो जाएगा। सहसदस्यता के
जीवित सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा और इस अधिनियम के अनुसार नहींः

बशर्ते कि, यदि मृतक ने अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट किसी महिला रिश्तेदार या उस वर्ग में निर्दिष्ट किसी पुरुष रिश्तेदार को जीवित छोड़ दिया था, जो ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता है, तो मिताक्षर सह-वार्षिक में मृतक का हित

3 3 2002 (3) एम पी एल जे 576

4 (2008) 7 एससीसी 46

5 (1986) 3 एस. सी. सी. 567 6 (1987) 1 एससीसी 204

7 (1984) 3 एससीसी 619 [2019] 17 एस. सी. आर.

संपत्ति इस अधिनियम के तहत, जैसा भी मामला हो, वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगी, न कि उत्तरजीविता द्वारा। स्पष्टीकरण 1. इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित को उस संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि संपत्ति का विभाजन उसके तुरंत पहले हुआ होता।

मृत्यु, चाहे वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं या नहीं।

स्पष्टीकरण 2. - परंतुक में कुछ भी नहीं है

धारा का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति को सक्षम बनाने के रूप में किया जाएगा जिसने

मृत्यु से पहले खुद को सह-सदस्य से अलग कर लिया मृतक या उसके किसी भी उत्तराधिकारी को निर्वसीयता पर उसमें निर्दिष्ट ब्याज में एक हिस्से का दावा करना।

17. इस न्यायालय ने सह-साझेदारी की घटनाओं को नोट किया है

सीताक्षर कानून, भारतीय स्टेट बैंक बनाम गुरबक्स राय 3 के माध्यम से घमंडी (मृत) के मामले में। रिपोर्ट किए गए अनुच्छेद 5 में

न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 5. मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के अनुसार एक हिंदू संयुक्त परिवार की सभी संपत्ति अर्ध-निगमित क्षमता में सभी सह-भागीदारों द्वारा सामूहिक स्वामित्व में रखी जाती है। मिताक्षर का पाठ्य प्राधिकरण स्पष्ट शब्दों में बताता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त परिवार के सदस्यों के लिए ट्रस्ट में रखी जाती है जो तब जीवित होते हैं और उसके बाद पैदा होते हैं (मिताक्षर, अध्याय I देखें,

1-27) . के तहत सह-साझेदारी की घटनाएं

मिताक्षर कानून इस प्रकार हैंः सबसे पहले, के वंशावली पुरुष वंशज

तीसरी पीढ़ी तक का व्यक्ति, जन्म के बाद प्राप्त करता है ऐसे व्यक्ति की पैतृक संपत्तियों में स्वामित्व;

दूसरा, कि ऐसे वंशज किसी भी समय विभाजन की मांग करके अपने अधिकारों का निर्धारण कर सकते हैं; तीसरा, कि विभाजन तक प्रत्येक सदस्य को पूरी संपत्ति पर स्वामित्व मिल गया है, बाकी के साथ-साथ; चौथा, इसके परिणामस्वरूप

इस तरह के सह-स्वामित्व का अधिकार और आनंद

गुण सामान्य है; पाँचवाँ, कि कोई अलगाव नहीं

संपत्ति तब तक संभव है जब तक कि यह आवश्यकता के लिए न हो।

सह-भागीदारों की सहमति, और छठा, कि

मृतक सदस्य का ब्याज उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाता है

9) 2 एस. सी. सी. 33 राधा बाई बनाम। राम नारायण और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जीवित बचे। मिताक्षरा स्कूल के तहत एक सह-सदस्य है

कानून का एक प्राणी और पक्षों के कार्य से उत्पन्न नहीं हो सकता है सिवाय इसके कि

अब तक कि गोद लेने पर गोद लिया हुआ बेटा सह बन जाता है

पैतृक के संबंध में अपने दत्तक पिता के साथ भागीदार उत्तरार्द्ध के गुण "।

(जोर दिया गया)

इस व्याख्या पर हरदेव राय (ऊपर) में ध्यान दिया गया है।

इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पैराग्राफ में अवलोकन किया

20 23 इस प्रकार हैः

" 20. पहली अपीलीय अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि

अपीलार्थी मिताक्षर सहसदस्य का सदस्य था। द.

संपत्ति के स्रोत का खुलासा नहीं किया गया था। जिस तरीके से

सम्पत्तियाँ अपीलार्थी के कब्जे में थीं

अन्य सह-मालिकों को ध्यान में नहीं रखा गया था। यह था।

यह नहीं माना गया कि पार्टियाँ रसोईघर या भोजनालय में संयुक्त थीं। कोई और नहीं। दिखाने के लिए दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य को रिकॉर्ड में लाया गया था

कि पक्षकारों के पास संपत्तियों का संयुक्त अधिकार था।

21. अपीलार्थी की ओर से जाँच किए गए गवाहों में से एक स्वीकार किया कि अपीलार्थी अलग कब्जे में था

सूट की संपत्ति। अपीलार्थी ने भी अपने बयान में स्वीकार किया

कि वह और उसके अन्य सह-भागीदार अलग-अलग कब्जे में थे

संपत्ति।

22. संपत्ति में अपना हित निर्धारित करने के उद्देश्य से, यह

यह आवश्यक नहीं था कि मेट्स और सीमा द्वारा विभाजन के बीच

सह-भागीदारों को होना चाहिए। जब कोई इरादा व्यक्त किया जाता है

सह-पक्षीय संपत्ति को विभाजित करने के लिए, प्रत्येक का हिस्सा

सह-निर्धारक स्पष्ट और सुनिश्चित हो जाते हैं। एक बार शेयर करें एक सह-सहभागी का निर्धारण किया जाता है, यह एक सह-सहभागी होना बंद कर देता है

संपत्ति। इस तरह की घटना में पार्टियों के पास नहीं होगा

संपत्ति "संयुक्त किरायेदारों" के रूप में लेकिन "सामान्य किरायेदारों" के रूप में। द.

इसलिए, एस. बी. आई. 1 में इस न्यायालय का निर्णय इस पर लागू नहीं होता है

वर्तमान मामला। 23. जहाँ एक सह-भागीदार संपत्ति में निश्चित हिस्सा लेता है, वह

बिक्री या बंधक उसी तरह से जिस तरह से वह अपना निपटान कर सकता है अलग संपत्ति। "[2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चंदर सेन (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने 1956 के अधिनियम की धारा 4,6 और 8 के बीच परस्पर क्रिया पर विचार किया, जिसमें अध्याय 2 और अनुसूची के वर्ग-1 के उत्तराधिकारी शामिल थे। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में उल्लेख कियाः

" 10. यहाँ सवाल यह है कि क्या वह आय या संपत्ति जो एक बेटे को विभाजन द्वारा अलग किए जाने पर अपने पिता से विरासत में मिलती है

इसका मूल्यांकन हिंदू अविभाजित परिवार के बेटे की आय या उसकी व्यक्तिगत आय के रूप में किया जाना चाहिए। आपस में कोई विवाद नहीं

हिंदू कानून और न ही अदालत के फैसलों पर टिप्पणीकारों ने कहा कि हिंदू कानून के तहत, बेटे को अपने परिवार के कर्ता के समान विरासत मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 का क्या प्रभाव है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम निर्धारित करता है। पहला नियम यह है कि निर्वसीयत मर रहे एक पुरुष हिंदू की संपत्ति अनुसूची के अध्याय II और वर्ग I के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित होगी, जिसमें प्रावधान है कि यदि वर्ग I का कोई पुरुष उत्तराधिकारी है तो अनुसूची के वर्ग I में उल्लिखित उत्तराधिकारियों पर। अनुसूची की पहली कक्षा इस प्रकार हैः

" बेटा; बेटी; विधवा; माँ; एक पूर्व मृत बेटे का बेटा; एक पूर्व मृत बेटे की बेटी; एक पूर्व मृत बेटी की बेटी; एक पूर्व मृत बेटे की विधवा; एक पूर्व मृत बेटे के पूर्व मृत बेटे का बेटा; एक पूर्व मृत बेटे के पूर्व मृत बेटे की बेटी; एक पूर्व मृत बेटे की विधवा। एक पूर्व मृत पुत्र का पूर्व मृत पुत्र।

11. अनुसूची के प्रथम वर्ग में उल्लिखित उत्तराधिकारी पुत्र हैं,

बेटी आदि जिसमें एक पूर्व मृत बेटे का बेटा भी शामिल है लेकिन

इसमें विशेष रूप से पोते को शामिल नहीं किया गया है, जो एक जीवित बेटे का बेटा है। इसलिए, छोटा सवाल यह है कि जब अनुसूची के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को संपत्ति विरासत में मिलती है, तो क्या वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ऐसा करता है या वह अपने अविभाजित परिवार के कर्ता के रूप में ऐसा करता है?

12. अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि सी. आई. टी. बनाम का मामला। राम रक्षपाल, अशोक कुमार संबंधित का उल्लेख करने के बाद

अधिकारियों और टिप्पणीकारों ने पी. 171 उक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिनियम के स्पष्ट शब्दों की व्याख्या करते समय कानून के एक टुकड़े द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के बारे में व्यापक और सामान्य प्रकृति पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। विद्वान न्यायाधीशों ने हिंदू कानून पर मुल्ला की टिप्पणी और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिता द्वारा हाथों में छोड़ी गई व्यवसाय की संपत्ति के मामले में राधा बाई बनाम।

राम नारायण और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उसके बेटे का जन्म अधिनियम की धारा 8 द्वारा शासित होगा और वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लेगा। इस संबंध में हमारे समक्ष हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 का भी उल्लेख किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 4 अधिनियम के प्रबल प्रभाव का प्रावधान करती है। अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित किए जाने के अलावा, इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू हिंदू कानून का कोई पाठ, नियम या व्याख्या या उस कानून के हिस्से के रूप में कोई प्रथा या उपयोग किसी भी मामले के संबंध में प्रभावी नहीं होगा जिसके लिए अधिनियम में प्रावधान किया गया है और अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू कोई अन्य कानून हिंदुओं पर लागू नहीं होगा, जहां तक कि यह अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान से असंगत है। धारा 6 सह-आंशिक संपत्ति में ब्याज के हस्तांतरण से संबंधित है और यह स्पष्ट करती है कि कब

अधिनियम के प्रारंभ के बाद एक पुरुष हिंदू की मृत्यु हो जाती है, जिसकी मृत्यु के समय मिताक्षर सह-अधिवेशन में रुचि होती है।

संपत्ति में उसका हित सह-सदस्य के जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। और अधिनियम के अनुसार नहीं। परंतुक इंगित करता है कि यदि मृतक ने अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट किसी महिला रिश्तेदार या उस वर्ग में निर्दिष्ट किसी पुरुष रिश्तेदार को जीवित छोड़ दिया था, जो ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता है, तो मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में मृतक का हित इस अधिनियम के तहत वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा।

(जोर दिया गया)

पैराग्राफ 15 में फिर सेः

" 15. यह स्पष्ट है कि हिंदू कानून के तहत, जिस क्षण एक बेटा होता है

वह पैदा होता है, उसे पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है और वह हिस्सा बन जाता है सहभागीदारी से। उसका अधिकार उसकी मृत्यु पर नहीं मिलता है।

पिता या पिता से विरासत लेकिन बहुत तथ्य के साथ

उसके जन्म से। आम तौर पर, इसलिए जब भी पिता एक दादा या दादा से किसी भी स्रोत से संपत्ति

कोई अन्य स्रोत, चाहे वह अलग की गई संपत्ति हो या नहीं, उसके बेटे को चाहिए

उसमें एक हिस्सा है और यह संयुक्त हिंदू का हिस्सा बन जाएगा।

उनके बेटे और पोते और अन्य सदस्यों का परिवार जो

उनके साथ संयुक्त हिंदू परिवार। लेकिन सवाल यह हैः यह स्थिति है

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 से प्रभावित और यदि तो, कैसे? मूल तर्क यह है कि धारा 8 उत्तराधिकारियों को इंगित करती है।

कुछ संपत्ति के संबंध में और उत्तराधिकारियों के प्रथम वर्ग में [2019] 17 एस. सी. आर. शामिल हैं।

बेटा लेकिन पोता नहीं। हालाँकि, इसमें पूर्व मृत पुत्र का पुत्र भी शामिल है। यह वही स्थिति है जिसने मुख्य रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दो फैसलों में यह विचार रखने के लिए प्रेरित किया है कि बेटे को अपने पिता से विरासत में मिली संपत्ति से आय, जिससे वह विभाजन द्वारा अलग हो गया है।

व्यक्तिगत रूप से बेटे की आय के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत निर्वसीयत पिता की संपत्ति उसके बेटे को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में हस्तांतरित की जाती है।

और अपने परिवार के कर्ता के रूप में नहीं। दूसरी ओर, गुजरात

उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है।

द्वारा व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों पर विचार करने के बाद

अबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय एक तरफ और गुजरात

दूसरी ओर, न्यायालय ने इस प्रकार राय व्यक्त कीः

" 21. हिंदुओं की प्रस्तावना को ध्यान में रखना आवश्यक है।

उत्तराधिकार अधिनियम, 1956। प्रस्तावना में कहा गया है कि यह निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताबद्ध करने के लिए एक अधिनियम था

हिंदुओं के बीच।

22. अधिनियम की प्रस्तावना यानी जहां आवश्यक हो उसमें संशोधन करने और कानून को संहिताबद्ध करने को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में यह संभव नहीं है जब अनुसूची प्रथम श्रेणी में उत्तराधिकारियों को इंगित करती है और केवल पुत्र को शामिल करती है।

और इसमें बेटे का बेटा शामिल नहीं है, लेकिन एक बेटे का बेटा शामिल है। पूर्व-मृत पुत्र, यह कहने के लिए कि जब पुत्र को धारा 8 द्वारा अनुध्यात स्थिति में संपत्ति विरासत में मिलती है तो वह इसे अपने अविभाजित परिवार के कर्ता के रूप में लेता है। गुजरात उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

ऊपर उल्लिखित, यदि स्वीकार किया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि हालांकि एक पूर्व मृत पुत्र का पुत्र और न कि एक पुत्र का पुत्र जो है

धारा 8 के तहत विरासत में प्राप्त करने के लिए बहिष्कृत करने का इरादा, बाद वाला पुराने हिंदू कानून को लागू करके एक अधिकार प्राप्त करेगा

उल्लिखित योजना के विपरीत उक्त संपत्ति का जन्म

धारा 8 में। इसके अलावा, जैसा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि अधिनियम धारा 4 द्वारा यह स्पष्ट करता है कि किसी को संदेह के मामले में अधिनियम को देखना चाहिए न कि पहले से मौजूद हिंदू कानून को। आज यह पकड़ना मुश्किल होगा कि वह संपत्ति जो

अधिनियम उनके अपने बेटे की तुलना में उनके हाथ में एच. यू. एफ. होगा; जो इसमें उल्लिखित उत्तराधिकारियों के बीच दो वर्ग बनाने के बराबर होगा। प्रथम श्रेणी, पुरुष उत्तराधिकारी जिनके हाथों में यह संयुक्त हिंदू परिवार राधा बाई बनाम होगा।

राम नारायण और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संपत्ति बनाम पुत्र और महिला उत्तराधिकारी जिनके संबंध में

पूर्व मृत पुत्र आदि। 23. निष्कर्ष निकालने से पहले हम कह सकते हैं कि हमने नोट किया है

हिंदू कानून पर मुल्ला की टिप्पणी, 15 वीं संस्करण।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 से निपटना। 924

26 साथ ही हिंदू कानून पर मेयने का 12 वां संस्करण। , पीपी। 918-19 .

24. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के स्पष्ट शब्द,

1956 इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसे प्रबल होना चाहिए। की प्रस्तावना

अधिनियम दोहराता है कि अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, कानून में "संशोधन" करने के लिए है।

उस पृष्ठभूमि में व्यक्त भाषा जिसमें बेटे का बेटा शामिल नहीं है

लेकिन इसमें एक पूर्व मृत पुत्र के पुत्र को शामिल किया गया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

यह निर्णय युधिष्ठिर में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है।

ए)। उक्त निर्णय के पैरा 10 में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 10. इस प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. टी. बनाम. में विचार किया गया है। चंदर सेन जहाँ हम में से एक (सब्यसाची मुखर्जी, जे।)

यह देखा गया कि हिंदू कानून के तहत, जिस क्षण एक बेटा पैदा होता है,

उसे पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है और वह इसका हिस्सा बन जाता है।

सह सहभागी। उसका अधिकार उसकी मृत्यु पर उसे नहीं मिलता है पिता या पिता से विरासत लेकिन बहुत तथ्य के साथ

उसका जन्म। सामान्यतः, इसलिए जब भी पिता को संपत्ति मिलती है दादा जी से या किसी अन्य स्रोत से

स्रोत, चाहे वह अलग की गई संपत्ति हो या नहीं, उसके बेटे के पास एक होना चाहिए उसमें भाग लें और यह संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा बन जाएगा।

उसका बेटा और पोता और अन्य सदस्य जो संयुक्त हिंदू हैं परिवार उसके साथ। इस न्यायालय ने कहा कि यह स्थिति रही है

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 से प्रभावित और,

इसलिए, अधिनियम के बाद, जब बेटे को संपत्ति विरासत में मिली

धारा 8 द्वारा विचार की गई स्थिति, वह इसे इस रूप में नहीं लेता है

अपने खुद के अविभाजित परिवार का कर्ता लेकिन इसे अपने आप में लेता है

क्षमता। पी. 577 रिपोर्ट के 578 तक, इस न्यायालय ने

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 का प्रभाव और

मुल्ला द्वारा की गई टिप्पणी, 15 वीं संस्करण। , पीपी। 924-26 साथ ही मईन के हिंदू कानून के रूप में, 12 वीं संस्करण। पीपी। 918-19 . श्री बनर्जी ने भरोसा किया [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हिंदू कानून पर मेयने की उक्त टिप्पणियों पर, 12 वीं संस्करण। , पी पर। 918-19 . इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार सही प्रतीत होते हैं और गुजरात उच्च न्यायालय के विचारों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इसी तरह का प्रभाव मेयने के हिंदू कानून, 12 वीं संस्करण के विद्वान लेखक का अवलोकन है। , पी। 919. मामले के उस दृष्टिकोण में, उस संपत्ति को धारण करना मुश्किल होगा जो धारा 8 के तहत एक हिंदू को हस्तांतरित की गई थी।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 उनके अपने बेटों की तुलना में उनके हाथ में एचयूएफ होगा। यदि यह स्थिति है तो जो संपत्ति प्रत्यर्थी के दादा की मृत्यु पर तत्काल मामले में उसके पिता को हस्तांतरित की गई थी, उसे एचयूएफ संपत्ति नहीं कहा जा सकता था। यदि ऐसा है, तो अपीलीय प्राधिकारी का यह मानना सही था कि प्रत्यर्थी अपने पिता का लाइसेंसधारी था।

पैतृक घर "।

18. उत्तरदाताओं ने भी निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

चन्द्रकांता (ऊपर) मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसने वादी के दावे को इस आधार पर अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त उक्ति का पालन किया था कि जब तक उनके पिता जीवित हैं, वे किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

19. वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर लौटते हुए, यह है

यह देखा कि सुखदेव को पैतृक संपत्ति विरासत में मिली थी और वह 1965 तक जीवित थे। अपीलार्थी के पिता साहेबलाल की मृत्यु उनसे पहले 1957 में हुई थी। साहेबलाल जनकराम के पुत्र थे। 1982 में जनकराम की मृत्यु हो गई। जनकराम के जीवन काल के दौरान, 1956 के अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में, सहब्लाल संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था क्योंकि वह केवल जनकराम के माध्यम से दावा कर सकता था। तथापि, जनकराम 1982 तक जीवित रहे। यदि साहेबलाल का स्वयं अपने अधिकारों में कोई दावा नहीं था, तो अपीलार्थी, उसकी बेटी होने के नाते, संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का सवाल ही नहीं उठता।

20. तीन न्यायाधीशों सहित इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण

बेंच, यह है कि पोते या पोती को स्पष्ट रूप से कक्षा-I में उत्तराधिकारियों से बाहर रखा गया है। सहब्लाल स्वयं सुखदेव के पोते थे, जो सुखदेव से पहले ही मर चुके थे। इसलिए 1965 में सुखदेव की मृत्यु के बाद, पैतृक सूट संपत्ति को 1967 में जनकराम और पिलाराम के बीच विभाजित किया जा सकता था। उस विभाजन के परिणामस्वरूप, मुक़दमे की संपत्ति जनकराम के व्यक्तिगत हिस्से में आ गई।

क्षमता। इसलिए, वह राधा बाई बनाम में वैध रूप से इसका निपटारा कर सकता था।

राम नारायण और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जिस तरह से वह चाहता था और जो उसने अपने पोतों के पक्ष में किया

(प्रतिवादी Nos.1 से 3) दिनांक 21 जुलाई, 1979 के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से। न तो 1967 के कथित विभाजन और न ही 21 जुलाई, 1979 के उत्तरदाताओं (प्रतिवादी Nos.1 से 3) के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी/वादी द्वारा दायर मुकदमे में मांगी गई राहत केवल विभाजन और पक्षकार को हिस्सा देने के लिए है।

कब्जा के साथ अपीलार्थी/वादी। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि, जनकराम (यहाँ अपीलार्थी) की पोती अपने पिता साहेबलाल के अधिकार से अधिक उच्च अधिकार का दावा नहीं कर सकती थी।

21. गुरुपद खंडप्पा मगदुम (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर अपीलार्थी द्वारा रखी गई निर्भरता, विरोधाभासी है। उस मामले में,

वादी, जो प्रथम श्रेणी में उत्तराधिकारी है, ने अपने पति के हित में वह हिस्सा होने का दावा किया जो उसकी मृत्यु के समय सह-आंशिक संपत्ति में था। मामले के उस दृष्टिकोण में, 1956 के अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान के संदर्भ में, सह-आंशिक संपत्ति में उनके पति का हित 1956 के अधिनियम के तहत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। इसी तरह, राज रानी (उपरोक्त) के मामले में, अदालत को विधवा, मृतक के तीन बेटों और तीन बेटियों के बीच विवाद पर विचार करने के लिए कहा गया था, जो वर्ग में उत्तराधिकारी थे-मैं समान शेयरों में ब्याज देने में सफल रहा था, क्योंकि 1956 के अधिनियम की धारा 6 के स्पष्टीकरण-I के आधार पर, विचाराधीन संपत्ति मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति थी। उस विश्लेषण को रिपोर्ट किए गए फैसले के पैराग्राफ 17 से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि रमेश वर्मा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का हालिया निर्णय भी अपीलार्थी के लिए मामले को आगे नहीं ले जाता है। चूंकि, उस मामले में भी, विवाद भगवान दास के निधन के बाद प्रथम श्रेणी में संबंधित उत्तराधिकारियों के बीच था। 1956 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले, काल्पनिक विभाजन हुआ था और मध्य भारत भूमि संहिता की धारा 82 के अनुसार, उनके बेटे और पत्नी संपत्ति में एक तिहाई हिस्सा प्राप्त करने के हकदार हो गए थे। विभाजन पर, हिस्सा पुत्रों में से एक के पास आ गया था जो उनकी अलग संपत्ति बन गई और अब मिताक्षर संपत्ति नहीं रही। इस तथ्यात्मक स्थिति को रिपोर्ट किए गए फैसले के पैराग्राफ 11 से समझा जा सकता है।

22. एक प्राथमिकता के रूप में, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार को बरकरार रखते हैं कि 1965 में सुखदेव की मृत्यु के बाद, संपत्ति उनके दोनों को हस्तांतरित कर दी गई थी

पुत्र जनक्रम और पिलाराम। वे पैतृक संपत्ति में समान रूप से सफल हुए। बाद में उन्होंने 1967 में विभाजन किया, जिसके परिणामस्वरूप, संपत्ति जनाक्रम के विशेष हिस्से में आ गई। के पिता

अपीलार्थी, साहेबलाल, अपने पिता जनकराम और यहाँ तक कि अपने पिता से पहले ही मर चुका था। दादा सुखदेव। जनकराम के जीवन काल के दौरान, सहब्लाल 138 कर सकते थे।

ए संपत्ति में सफल नहीं हुआ है और इसी कारण से, अपीलार्थी को उसकी बेटी होने के नाते सहब्लाल से अधिक किसी भी अधिकार का दावा करते हुए नहीं सुना जा सकता है। तय कानूनी स्थिति को वर्तमान में लागू करना

मामले में, अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए आधारों को अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

23. तदनुसार, यह अपील विफल होनी चाहिए। इसलिए, उसी बी को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

24. उपरोक्त में सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है।

शर्तें।

अंकित ज्ञान